न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/22/2022, रजि0 न0 2022/32

अपीलार्थीः–	**प्रत्यर्थीः–**
श्री भगत सिंह चौधरी एडवोकेट कोर्ट परिसर कोटकासिम।	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 11.05.2022

अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास को आवेदन पत्र दिनांक 02.03.2022 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 27.04.2022 को उपस्थित आवें।

अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास से अपील का बिन्दुवार जवाब प्राप्त नही हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के जवाब के अभाव में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा अपील का बिन्दुवार जवाब अप्राप्त होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। यदि सूचना देयता की श्रेणी में आती है तो अपेक्षित सूचनाएं 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति० जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर